301

निग0-5304/2018/प्रिग/भूरा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

1– लालमणि साकेत पिता शिवधारी साकेत, उम्र 46 वर्ष, पेशा नौकरी,

2– बाबूलाल साकेत पिता शिवधारी साकेत, उम्र 43 वर्ष पेशा नौकरी,

3– शिवधारी साकेत पिता स्व0 राममनोहर साकेत, उम्र 85 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम रौरा, तहसील हुजूर, सर्किल बनकुईयॉ, जिला रीवा म0प्र0

———निगरानीकर्तागण / निगराकार

बनाम्

रामसजीवन साकेत पिता शिवदास साकेत, उम्र 65 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी ग्राम रौरा, तहसील हुजूर, सर्किल बनकुईयॉ, जिला रीवा म0प्र0

———गैरनिगरानीकर्ता / गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 23 / 05 / 2018 प्रकरण कमांक 52 / अ–12 / 2017–18 विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल गोविन्दगढ़, जिला रीवा म0प्र0

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं:–

यह कि निगराकरान द्वारा गैरनिगराकार के सरहदी सीमा से लगी स्वयं की भूमि कमांक 1025 एवं 1021 / 2 का सीमांकन कराया, सीमांकन उपरान्त निगरानीकर्तागण की भूमि का राजस्व अधिकारियों द्वारा दिनांक 09 / 06 / 2017 को वर्तमान कब्जे के अनुसार ही सीमाचिन्ह स्थापित कराये गये थे उक्त सीमांकन में निगराकारान का क्षेत्रफल के अनुसार मौके मे भूमि सही पाई गई थी तदानुसार सीमांकित भू–भाग में सीमां चिन्ह स्थापित कराया गया और उक्त

(301)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5304 / 2018 / रीवा / भू–रा0 जिला–रीवा

लालमणि साकेत / रामसजीवन साकेत

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 52 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	